

डिगरी बगुकदमे इबादाई  
(ऑर्डर 21 कूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी ।


पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस

1. श्रीराम पुत्र श्री भीखाराम बनाम 01. मांगीलाल पुत्र श्री भेराराम,
2. पप्पाराम पुत्र श्री भीखाराम 02. नारायणराम पुत्र श्री राजूराम
3. थानाराम पुत्र श्री भीखाराम 03. कालूराम पुत्र श्री राजूराम
- सभी जातियान विश्नोई 04. गोश्धन पुत्र श्री राजूराम
- निवासीगण सरेचा, तहसील 05. विरमराम पुत्र श्री राजूराम,
- लूणी, जिला जोधपुर। 06. रामचन्द्र पुत्र श्री राजूराम
07. देवाराम पुत्र श्री राजूराम
08. मीरा पुत्री श्री राजूराम
- सभी जातियान विश्नोई निवासीगण  
सरेचा, तहसील लूणी, जिला  
जोधपुर।
09. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार,  
लूणी।

दावा बाबत U/S 53 व 188 R.T.Act मुकदमा नम्बर (22/2017)

यह आज मुकामा वास्ते इनफिमाल कितई रूबरू वादी व प्रतिवादीगण के वकील बहाजरी श्री भागीरथराम विश्नोई मिनजानिब मुद्धई व श्री लाधूराम पूनिया एडवोकेट मिनजानिब मुद्धयलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी जरिये राजीनामा स्वीकार कर विभाजन की डिकी किया जाता है। राजीनामे को डिगरी का अंग शुमार किया जाता है जो निम्न प्रकार है-

"01. यह है कि ग्राम सरेचा के भूमि ख0न0 183 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 184 मीन 1 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा, कुल रकबा 32 बीघा


  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी



01 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की अविभाजित खातेदारी की है जिसका विभाजन वादी श्रीराम, पप्पाराम व थानाराम पुत्रगण श्री भीखाराम तथा प्रतिवादी मांगीलाल पुत्र श्री भैराराम, नारायणराम, कालूराम, गोरधन, विरमराम, रामचन्द्र, देवाराम व मीरा पुत्र-पुत्री श्री राजूराम की आपसी सहमति एवं रजामंदी से निम्नप्रकार से किया गया है-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा
1	मांगीलाल पुत्र भैराराम	183	05.00 बीघा
		184 / 1	04.04 बीघा
	कुल	02	09.04 बीघा
2	नारायणराम	184 / 2	01.03 बीघा
	कालूराम	184 / 3	01.16 बीघा
	गोरधनराम	184 / 4	03.17 बीघा
	विरमराम	184 / 5	03.14 बीघा
	रामचन्द्र		
	देवाराम		
मीरा पुत्र-पुत्री स्व0 श्री राजूराम			
कुल	04	10.10 बीघा	
3	श्रीराम पप्पाराम थानाराम पुत्रगण स्व0 श्री भीखाराम	183 / 1	09.00 बीघा
		कुल	01
	4	मांगीलाल पुत्र भैराराम हि 1/3, नारायणराम, कालूराम, गोरधनराम, विरमराम, रामचन्द्र देवाराम पुत्रगण स्व0 श्री राजूराम हि. 1/3, श्रीराम, पप्पाराम, थानाराम पुत्रगण स्व0 श्री भीखाराम हि. 1/3	183 / 2
183 / 3			00.15 बीघा
184 / 6			01.11 बीघा
कुल	03	03.07 बीघा	
	कुल रकबा		32.01 बीघा

उपरोक्त विभाजन पक्षकारान के राजीनामा/सहमति बंटवाडा दिनांक 19.11.2020 के अनुसार किया जाता है तथा राजीनामा एवं उसके संलग्न


  
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
 लूणी



नजरिये नक्शा इस डिकी का भाग रहेगा। तदनुसार विभाजन की अंतिम डिकी पारित की जाती है।

नीज ..... मुबलिक.....शबत....., खर्चा इस मुकदमे के मध्य मुद बशरह ..... की लदी मालाना आज की तारीख में लदीज वसूलयापी तक ..... को अदा करें ।


वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/01/2021 को जारी की गई

  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी।  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दालयाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा नाबाहम		
खर्चा नाबाइज			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हम दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये ।



  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी।  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी